झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–157 / 2019

बिक्रम सिंह ..... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. प्रधान सचिव, वन और पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड सरकार, राँची
4. क्षेत्रीय वन संरक्षक, वन रेंज, बोकारो
5. संरक्षक, कार्य योजना सर्कल, बोकारो
6. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो ..... विरोधी पक्ष

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री ललन कु0 सिंह, अधिवक्ता।

विरोधी पक्ष के लिए : श्री प्रत्युष लाला, जी0पी0–IV के ए0सी0।

03 / 21.06.2019 याचिकाकर्त्ता और राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

याचिकाकर्त्ता ने डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–2879 / 2017 के पुनःस्थापन हेतु निवेदन किया है, जिसे निर्धारित समय के भीतर दोषों को दूर करने में विफलता के कारण यदिनांक 26.09.2018 के अनुल्लंघनीय आदेश का पालन न करने के लिए खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ताा ने उन कारणों को इस याचिका की कंडिका–5 में समझाया जिनके वजह से बचे हुए त्रुटियों को अनुल्लंघनीय समय के भीतर नहीं हटाया जा सका। उन्होनें कहा कि बाद में त्रुटियों को दूर कर दिया गया है। याचिकाकर्त्ता को अपूरणीय क्षति होगी, अगर रिट याचिका का पुनःस्थापन नहीं किया जाता है क्योंकि यह सेवानिवृति के बाद बकाया के दोवे से संबंधित है।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना का विरोध नहीं करते हैं।

पार्टियों के निवेदनों एवं प्रार्थित आधारों के मद्देनजर, डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 2879 / 2017 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाए। कार्यालय जांच करे कि बचे हुए त्रुटियों को दूर कर दिया गया है अथवा नहीं और उसके बाद उचित शीर्षक के तहत उचित बेंच के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करें।

यह याचिका, तद्नुसार, निपटाई जाती है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)